<u>**न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर राज 0**</u>

फौजदारी प्रकरण सं 838/2026 रै.फौ.
राज्य बनाम **मुन्तजीर**
परिवाद संख्या 72/2026 पीएस कोतवाली
अपराध धारा- 60 पुलिस एक्ट
सीएनआर संख्या- RJDG020011432026

<u>**दिनांक 11-03.2026**</u>

1. अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी थानाधिकारी **पुलिस थाना कोतवाली** की ओर से थानाधिकारी ने **अभियुक्त मुंतजीर** के विरूद्ध **धारा 60 पुलिस एक्ट** के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया गया।

2. अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित, नकल अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। परिवाद पत्र का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 60 पुलिस एक्ट** का अपराध प्रथमदृष्ट्या बनना पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 60 पुलिस एक्ट** के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण रेग्यूलर फौजदारी में दर्ज रजिस्टर हो।

3. अभियुक्त को उक्त धारा का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वैच्छया स्वीकार कर अंवीक्षा नहीं चाही तथा पृथक से जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर मुलजिम को उस पर आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर(राज)

4. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार

Authenticated Document

है कि उसे कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है व न ही कभी परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

5. चूंकि अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है व पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किए जाने व परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा- 3 के तहत प्रताड़ना दी जाती है।

6. साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त पर **50/-रूपये अक्षरे पचास रूपये** अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं।

7. आदेशानुसार आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से कुल अभियोजन व्यय राशि 50/-रूपये जमा की गई, जो जरिये ई-चालान **जीआरएन नं. 119783649** से जमा की गई।

प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर(राज)

HARENDRA
PAL SINGH
CHUNDAWAT

Steno Gr.II
"I attest to the accuracy and authenticity of this document"
Digitally signed by HARENDRA PAL SINGH CHUNDAWAT
Location: CJM COURT DUNGARPUR
Date: 2026.03.11 16:30:23 +0530

Authenticated Document